न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— मुन्नीराम बागड़िया
(आर0ए0एस0)

अपील संख्या— 28 / 2017

बलराम पुत्र फुलाराम जाति मीणा निवासी मीणा की ढाणी तन गोविन्दपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं

—अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं

—रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय दिनांक 23.08.2016 बअदालत तहसीलदार खेतड़ी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम बलराम मु0न0 41 / 2016(44 / 2016 अ0 धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश पुनियां, एडवोकेट———————————अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,राजकीय अधिवक्ता ——— राज0सरकार की ओर से।

—निर्णय — दिनांकः— 15.09.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 23.8.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बलराम मु.न. 41 / 2016 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं । अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमीन हाल ख0न0 2779 रकबा 2.46 है0 किस्म गै0मु0 रड़ा सरहद राजस्व ग्राम गोविन्ददासपुरा पटवार हल्का त्यौदां तहसील खेतड़ी में स्थित है। उक्त जमीन पर अपीलान्ट द्वारा तथाकथित रूप से 28X 22 = 616 वर्ग मीटर पर तथाकथित रूप से पुख्ता मकान बनाने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमण शुदा जमीन से बेदखल किये जाने एंव 50 रूपये तावान कायम किये जाने का दिनांक 23.08.2016 को निर्णय पारित किये जाने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अलीप पेश पेश कर निवेदन किया कि

पारित निर्णय जैर बहस दिनांक 23.08.2016 खिलाफ कानून न्याय एंव पत्रावली होने से खारिज योग्य है। प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अपीलान्ट का जमीन हाल ख0न0 2779/1909 किस्म गै0मु0 रड़ा वाके ग्राम गोविन्दपुरा के किसी भाग पर कोई अतिक्रमण नही है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट ने जहां मकान बना रखा है वह मकान अपीलान्ट के पूर्वजो के समय से है तथा पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे है। जहां अपीलान्ट के मकान पहले से बने हुए है। वह जमीन गै0मु0 रड़ा न होकर आबादी भूमि है। अपीलान्ट अनुसुचित जाति का व्यक्ति है एंव जहां पहले से अपीलान्ट ने मकान बना रखे है उसके अलावा अपीलान्ट के रिहायश हेतु अन्य कोई जगह नही है। अपीलान्ट के चारो और गांव के अन्य लोग भी पुख्ता मकान बनाकर पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे है। जहां विधुत विभाग ने तथा जलदाय विभाग ने बिजली व पानी के कनेक्शन जारी किये है। इस प्रकार अपीलान्ट गांव की आबादी भूमि में होने के कारण इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागु नही होते है। अपीलान्ट के चारो ओर ग्राम मीणा की ढाणी तन त्यौदां के व्यक्ति पीढी दर पीढी रिहायश करते है तथा उक्त गाव में एक समाज कल्याण का भवन है एक सरकारी पानी की टंकी है तथा राजकीय प्राथमिक सरकारी विद्यालय है। इस प्रकार मौके पर विवादित जमीन की किस्म गै0मु0 रड़ा नही बल्कि आबादी है। यह कि कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रशन है वहां पर कानून से सदभाविक रूप से काबिज व्यक्ति को समरी प्रोसेडिंग के द्वारा बेंदखल नही किया जा सकता। जो व्यक्ति सदभाविक रूप से काबिज हैं उसको सिर्फ रेगुलर कार्यवाही के द्वारा ही बाद साक्ष्य बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने मौजुदा प्रकरण मे प्रार्थी को अतिक्रमी मानने का आधर दर्ज नही किया। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय स्पष्ट रूप से पारित नही किया। पटवारी हल्का ने खनन माफियों से मिलकर झुठी रिपोर्ट तैयार की है। जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलान्अ द्वारा प्रस्तुत जबाबदेही को गलत रूप से नजर अंदाज किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 को खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट अनुसुचित जाति का व्यक्ति है एंव जहां पहले से अपीलान्ट ने मकान बना रखे है उसके अलावा अपीलान्ट के रिहायश हेतु अन्य कोई जगह नही है। अपीलान्ट के चारो और गाव के अन्य लोग भी पुख्ता मकान बनाकर पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे है। जहां विधुत विभाग ने तथा जलदाय विभाग ने बिजली व पानी के कनेक्शन जारी किये है। इस प्रकार अपीलान्ट गांव की आबादी भूमि में होने के कारण इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नही होते है। इसलिए योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित निर्णय दिनांक 23.08.2016 निरस्त होने योग्य है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के अनतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने पत्रावली का एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 23.08.2016 को अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैध साबित हो। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने राजकीय भूमि पर

अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 सरकार बनाम बलराम मु.नं.41/16 को यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को मेरे द्वारा अलग से टकिंत करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं